राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

जयपुर, दिनांक 22/02/24

क्रमांक एफ.2(216)/DOIT&C/2023/00515/2024

कार्यालय आदेश

स्व. श्री रामदेव धनाड़िया,(प्रोग्रामर) प्रधानाचार्य, राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 18.08.2023 को निधन हो गया था। इनकी पुत्री सुश्री भव्या धनाड़िया **(OBC)** को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 12.10.2023 के द्वारा इस विभाग को प्राप्त हुआ है। अतः सुश्री भव्या धनाड़िया को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत **कार्यालय विशेषाधिकारी, मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय, जोधपुर** में राजस्थान राज्य कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत सूचना सहायक के पद पर कार्यभार सम्भालनें की तिथि से दो वर्ष के लिए परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी **(Fixed Remuneration To Probationer Trainees)** के रूप में नियुक्त/पदस्थापित किया जाता है।

सुश्री भव्या धनाड़िया को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण मे पुनरीक्षित वेतनमान (संशोधित) नियम 2017 कें परिपत्र एफ14(1) एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत **Schedule IV(Rule No.16)** नियत पारिश्रमिक **(Fixed remuneration)** रूपये 18500/– प्रति माह की दर से देय होगें। इसके अतिरिक्त उक्त परिवीक्षा अवधि में अन्य भत्ते तथा मकान किराया भत्ता, मॅहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें। परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें। दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इन्हें सूचना सहायक को **Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules,2017** के अनुसार नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स **Level-08 (First cell)** का न्यूनतम वेतनमान 26300/– रूपये निर्धारित किया गया है एवं नियमानुसार भत्ते देय होगें।

कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.5(51)डीओपी/ए–II/88 पार्ट दिनांक 07.09.2009 के अनुसरण में सुश्री भव्या धनाड़िया को 3 वर्ष के भीतर स्थायीकरण के लिये हकदारी हेतु राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के अन्तर्गत हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति परीक्षा निर्धारित समयावधि में उत्तीर्ण करनी होगी और ऐसा न होने पर सुश्री भव्या धनाड़िया की नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। जब तक सुश्री भव्या धनाड़िया ऐसी अर्हताएं अर्जित नहीं कर लेते, तब तक उन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धियां अनुज्ञात नहीं की जायेगी। ऐसी अर्हताएं अर्जित करने पर ही नियुक्ति तारीख से काल्पनिक रूप से वेतन वृद्धियां अनुज्ञात की जायेगी किन्तु किसी बकाया का संदाय नहीं किया जायेगा।

सुश्री भव्या धनाड़िया द्वारा प्रस्तुत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की अंकतालिका के क्रमांक सं 0176764 के अनुसार इनकी जन्म तिथि 12.12.1996 (बारह दिसम्बर उन्नीस सौ छियानवें) है। यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगी :–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं एक माह के नोटिस पर किसी भी पक्षकार द्वारा समाप्त की जा सकती है।
2. यह नियुक्ति स्वास्थ्य एवं चाल–चलन ठीक प्रमाणित होने की शर्त पर की जा रही है इसके लिए इनको कार्यभार सम्भालनें की दिनांक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र (जो कि छः माह से पूर्व के नही हो) प्रस्तुत करने होगें।
3. सुश्री भव्या धनाड़िया द्वारा राज्य सेवा के दौरान मृतक कर्मचारी के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण–पोषण नहीं करने की स्थिति में तथा प्रस्तुत शपथ–पत्रों व दस्तावेजों के मिथ्या पाये जाने की जानकारी होने पर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती हैं।

लगातार........

4. इन्हें प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि के दौरान एवं कैलेण्डर वर्ष में 15 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। एक वर्ष से कम की अवधि में पूर्ण माहों के लिए एक आकस्मिक अवकाश प्रतिमाह की दर से देय होगा।

5. कार्यग्रहण करते समय अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु संलग्र प्रपत्र–ए में शपथ पत्र 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल ई स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा ।

6. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में संतोषप्रद नही पाया गया तो, उन्हे बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा ।

7. अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर आंवटित कार्यालय/विभाग में अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करें । निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने तथा कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की दशा में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा।

8. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नही होगा ।

9. सुश्री भव्या धनाड़िया को प्रोबेशनर ट्रेनी के दौरान स्थिर पारिश्रमिक के अलावा महंगाई भत्ता, विशेष भत्ते, मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, बोनस तथा अन्य किसी प्रकार किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।

10. चिकित्सा पुर्नभरण के स्थान पर आर.जी.एच.एस योजना लागू होगीं।

11. नियुक्ति पर पेंशन के संबंध में नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा जारी प्रावधान लागू होंगे।

12. सुश्री भव्या धनाड़िया को कार्यग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन **(Fixed Pay)** पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

(संजय जगदीश कर्णिक)
संयुक्त सचिव एवं कार्यालयध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव/आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर ।
2. कार्यालयाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
3. विशेषाधिकारी, कार्यालय, मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)।
4. प्रधानाचार्य,राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय, जोधपुर (राज.)
5. एसीपी (उपनिदेशक)/प्रोग्रामर, पदौन्नति शाखा, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
6. प्रशासनिक अधिकारी, (स्थानान्तरण/पदस्थापन शाखा) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
7. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
8. सुश्री भव्या धनाड़िया, पुत्री स्व. श्री रामदेव धनाड़िया, (प्रोग्रामर), निवासी– 64, श्याम बालानी मार्ग, प्रेक्षा हॉस्पिटल के पीछे, पाल रोड़, जोधपुर, राजस्थान (रजिस्टर्ड, ए.डी.) को प्रेषित कर लेख है कि आप मूल दस्तावेज एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय विशेषाधिकारी, मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय, जोधपुर में उपस्थित प्रस्तुत करे।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

संस्थापन अधिकारी